राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1302/2020 नेमीचंद, कांस्टेबल, बैल्ट नं. 864	1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. महानिदेशक, राजस्थान–पुलिस, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर, जिला सीकर।	26.10.2020	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित
2.	1303/2020 मन्नालाल, कांस्टेबल, बैल्ट नं. 876			

आदेश की दिनांक : 26.08.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1302/2020 नेमीचंद बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 की रिक्तियों का वर्षवार निर्धारण करते हुये वर्षवार पदोन्नति के आदेश जारी किये जावें और अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध एससी संवर्ग में पदोन्नति पर विचार करें तथा योग्य पाये जाने पर पदस्थापन के साथ–साथ पारिणामिक लाभ मय ब्याज सहित भुगतान करें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2006 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उसने दिनांक 19.04.2006 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 05.01.2016 को पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित करने के लिये विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कुल हैड कांस्टेबल के 105 पद में से एससी वर्ग के 16 पद, एसटी वर्ग के 12 एवं सामान्य वर्ग के 77 पद थे, जिसकी लिखित

परीक्षा आयोजित की गई। आयोजित होने उपरांत उत्तीर्ण कांस्टेबल को आउटडोर के लिये भेजा गया और साक्षात्कार होने के पश्चात् 105 में से 88 हैड कांस्टेबल के लिये भी चयन किया गया। वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध 2 हैड कांस्टेबल के पद एससी वर्ग में रिक्त रखे गये। श्री अशोक कुमार बैल्ट नं. 744 व लालचंद बैल्ट नं. 745 को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पीसीसी उत्तीर्ण करने के बावजूद पदस्थापन करने के बावजूद पदस्थापित किया। इसी प्रकार रिक्ति वर्ष 2016–17 में भी कुल 63 हैड कांस्टेबल के रिक्त पद थे और उक्त वर्ष में भी 2 हैड कांस्टेबल के पद रिक्त रखे गये, जो अनुचित है। आदेश दिनांक 14.10.2020 के द्वारा वर्ष 2017–18 में एससी वर्ग में पद रिक्त होने के बावजूद वर्ष 2013–14 में चयनित अशोक कुमार व लालचंद को पदोन्नति वर्ष परिवर्तित करते हुये वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त वर्ष में लिखित आउटडोर व साक्षात्कार में उत्तीर्ण है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने पद रिक्त होने के बावजूद उक्त वर्ष में अपीलार्थी का चयन नहीं किया, जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 10 के अनुसार सही नहीं है। जबकि प्रत्येक वर्ष एक अप्रेल को रिक्तियों का वर्षवार सही निर्धारण किया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार न तो पदोन्नति प्रक्रिया अपनायी गई और ना ही वर्षवार पदोन्नति प्रदान की गई, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 की रिक्तियों का वर्षवार निर्धारण करते हुये वर्षवार पदोन्नति के आदेश जारी किये जावें और अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध एससी संवर्ग में पदोन्नति पर विचार करें तथा योग्य पाये जाने पर पदस्थापन के साथ–साथ पारिणामिक लाभ मय ब्याज सहित भुगतान करें।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित, परंतु पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल के 105 रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की गई। वर्ष 2012–13 में उच्च पदों पर पदोन्नति (हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक) के 16 पद सम्मिलित किये गये और इस प्रकार पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई तथा आउटडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार पश्चात् आदेश दिनांक 19.01.2016 एवं पुलिस मुख्यालय के आदेश

दिनांक 06.08.2015 के निर्देशानुसार उच्च पदों की रिक्तियों को सम्मिलित नहीं कर वास्तविक रिक्तियों पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के अपील संख्या 487 से 501/2016 द्वारा निर्णय दिनांक 30.11.2017 एवं 03.01.2018 की पालना में वर्ष 2013–14 में कुल 89 रिक्त पद में से वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर 4 हैड कांस्टेबल पदोन्नत हो जाने से 4 रिक्त पदों को जोडने पर कुल 93 जिनमें एससी वर्ग के 14 और एसटी वर्ग के 11 के लिये रिव्यू बोर्ड की बैठक दिनांक 08.08.2018 को आयोजित की गई और 93 कांस्टेबल को वर्ष 2013–14 हेतु वरिष्ठता के आधार पर हैड कांस्टेबल के पद की पदोन्नति हेतु चयन सूची में लिया गया। कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2013–14 में एससी वर्ग में 14 रिक्त पदों का चयन किया गया है और परिपत्र दिनांक 28.06.2018 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1004, 665, 667, 692 से 696, 829, 832, 1003 एवं 1005/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की अनुपालना में हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2012–13 की रिक्तियों का पुनरावलोकन किये जाने तथा संशोधित चयन सूची बनाने हेतु चयन बोर्ड का गठन किया गया था और बोर्ड द्वारा पूर्व में वास्तविक रिक्तियां 16 एसटी एवं एससी वर्ग की 2–2 तथा रिक्त पदों की संशोधित सूची बनायी गई और वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध एससी संवर्ग का कोई हैड कांस्टेबल का पद रिक्त नहीं रखा गया। इसी प्रकार श्री अशोक कुमार एवं लालचंद किस जिले में कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2002–03 में क्रमशः मेरिट सूची क्रमांक 26/02–03 एवं 27/02–03 का चयन किये जाने पर पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 10.01.2008 के प्रावधानानुसार एक ही जिला/यूनिट में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चयनित सूची में अंकित मेरिट क्रम में रखी जायेगी तथा अन्य जिला/यूनिट से स्थानांतरण पर आये कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथि के आधार पर किया जायेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार श्री अशोक कुमार एवं लालचंद किस जिले के भर्ती हैं तथा अपीलार्थी उपरोक्त कार्मिकों से कनिष्ठ है और श्री अशोक कुमार एवं लालचंद को दिनांक 01.04.2013 की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अपने वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों से कनिष्ठ होने के कारण वर्ष 2013–14 की चयन सूची में विवर्जित कर वर्ष 2017–18 की हैड कांस्टेबल पद की चयन सूची पर वरिष्ठता अनुसार लिया गया है और वर्ष 2017–18 में एससी वर्ग का पद रिक्त नहीं होने के

कारण अपीलार्थी का हैड कांस्टेबल के पद पर चयन नहीं किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2006 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उसने दिनांक 19.04.2006 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 05.01.2016 को पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित करने के लिये विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कुल हैड कांस्टेबल के 105 पद में से एससी वर्ग के 16 पद, एसटी वर्ग के 12 एवं सामान्य वर्ग के 77 पद थे, जिसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आयोजित होने उपरांत उत्तीर्ण कांस्टेबल को आउटडोर के लिये भेजा गया और साक्षात्कार होने के पश्चात् 105 में से 88 हैड कांस्टेबल के लिये भी चयन किया गया। वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध 2 हैड कांस्टेबल के पद एससी वर्ग में रिक्त रखे गये। श्री अशोक कुमार बैल्ट नं. 744 व लालचंद बैल्ट नं. 745 को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पीसीसी उत्तीर्ण करने के बावजूद पदस्थापन करने के बावजूद पदस्थापित किया। इसी प्रकार रिक्ति वर्ष 2016–17 में भी कुल 63 हैड कांस्टेबल के रिक्त पद थे और उक्त वर्ष में भी 2 हैड कांस्टेबल के पद रिक्त रखे गये, जो अनुचित है। आदेश दिनांक 14.10.2020 के द्वारा वर्ष 2017–18 में एससी वर्ग में पद रिक्त होने के बावजूद वर्ष 2013–14 में चयनित अशोक कुमार व लालचंद को पदोन्नति वर्ष परिवर्तित करते हुये वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त वर्ष में लिखित आउटडोर व साक्षात्कार में उत्तीर्ण है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने पद रिक्त होने के बावजूद उक्त वर्ष में अपीलार्थी का चयन नहीं किया। जहां तक रिक्ति वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 तक की रिक्तियों का वर्षवार सही निर्धारण नहीं करने एवं अपीलार्थीगण को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध एससी संवर्ग में हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के अपील संख्या 487 से 501/2016 द्वारा निर्णय दिनांक 30.11.2017 एवं 03.01.2018 की पालना में वर्ष 2013–14 में कुल 89 रिक्त पद में से वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल से सहायक

उप निरीक्षक के पद पर 4 हैड कांस्टेबल पदोन्नत हो जाने से 4 रिक्त पदों को जोडने पर कुल 93 जिनमें एससी वर्ग के 14 और एसटी वर्ग के 11 के लिये रिव्यू बोर्ड की बैठक दिनांक 08.08.2018 को आयोजित की गई और 93 कांस्टेबल को वर्ष 2013–14 हेतु वरिष्ठता के आधार पर हैड कांस्टेबल के पद की पदोन्नति हेतु चयन सूची में लिया गया। कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2013–14 में एससी वर्ग में 14 रिक्त पदों का चयन किया गया है और परिपत्र दिनांक 28.06.2018 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1004, 665, 667, 692 से 696, 829, 832, 1003 एवं 1005/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की अनुपालना में हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2012–13 की रिक्तियों का पुनरावलोकन किये जाने तथा संशोधित चयन सूची बनाने हेतु चयन बोर्ड का गठन किया गया था और बोर्ड द्वारा पूर्व में वास्तविक रिक्तियां 16 एसटी एवं एससी वर्ग की 2–2 तथा रिक्त पदों की संशोधित सूची बनायी गई और वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध एससी संवर्ग का कोई हैड कांस्टेबल का पद रिक्त नहीं रखा गया। श्री अशोक कुमार एवं लालचंद किस जिले में कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2002–03 में क्रमशः मेरिट सूची क्रमांक 26/02–03 एवं 27/02–03 का चयन किये जाने पर पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 10.01.2008 के प्रावधानानुसार एक ही जिला/यूनिट में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चयनित सूची में अंकित मेरिट क्रम में रखी जायेगी तथा अन्य जिला/यूनिट से स्थानांतरण पर आये कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथि के आधार पर किया जायेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार श्री अशोक कुमार एवं लालचंद कनिष्ठ है और श्री अशोक कुमार एवं लालचंद को दिनांक 01.04.2013 की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अपने वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों से कनिष्ठ होने के कारण वर्ष 2013–14 की चयन सूची में विवर्जित कर वर्ष 2017–18 की हैड कांस्टेबल पद की चयन सूची पर वरिष्ठता अनुसार लिया गया है और वर्ष 2017–18 में एससी वर्ग का पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी का हैड कांस्टेबल के पद पर चयन नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित दोनों अपीलें खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित दोनों अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1302/2020 नेमीचंद बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1303/2020 मन्नालाल में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य